कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी धमतरी जिला धमतरी (छ.ग.)

//निविदा आमंत्रण//

ज्ञाप कमांक/ 7997 /विद्या/निविदा/2017-18/ धमतरी दिनांक 03/ 08/2017

धमतरी जिले के कुरूद विकासखंड अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र कुरूद में संचालित 44 हायर सेकेण्डरी स्कूलों में E-Learning & Practical Learning System के कय हेतु निर्धारित निविदा प्रपत्र में मोहर बंद निविदाएं आमंत्रित कि जाती है। निविदा प्रपत्र हेतु निर्धारित शुल्क कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी धमतरी में जमा कर निम्नानुसार निर्धारित तिथियों में निविदा प्रपत्र/निविदा की शर्तें एवं अन्य विवरण कार्यालयीन समय पर प्राप्त किया जा सकता हैः-

निविदा प्रपत्र की निर्धारित शुल्क राशि	निविदा प्रपत्र विकय की अंतिम तिथि/समय (निविदा प्रकाशन दिनांक से)		निविदा प्रपत्र जमा की अंतिम तिथि/समय		निविदा प्रपत्र खोलने की अंतिम तिथि/समय	
	दिनांक	समय	दिनांक	समय	दिनांक	समय
1	2	3	4	5	6	7
500.00	10.08.2017	संध्या 4.00 बजे तक	16.08.2017	अपरान्ह 12.00 बजे तक	16.08.2017	अपरान्हः 2.00 बजे तक

सामान्य शर्तः-

1. फर्म/कंपनी को इस कार्य के लिए 04 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।
2. फर्म/कंपनी का 03 वर्ष का Auditing Balance Sheet होना चाहिए।
3. फर्म/कंपनी के द्वारा सेन्ट्रल/स्टेट में कहॉं-कहा संवाए दी गई है।
4. फर्म/कंपनी का छत्तीसगढ में पंजीयन कमांक व दिनांक।
5. फर्म/कंपनी का जी.एस.टी.नंबर, सर्विस टैक्स नंबर एवं टिन नंबर।
6. फर्म/कंपनी का E-Learning & Practical Learning System के कार्य क्षेत्र में अनुभव।
7. उक्त निविदा में मूल निर्माता ओ.ई.एम.(ओरीजनल इक्वीपमेन्ट मेनुफेक्चरर) को प्राथमिकता दी जावेगी।
8. निविदाकर्ता ओ.ई.एम.को उत्पादन क्षमता का प्रमाण पत्र अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा।
9. निविदा मुहरबंद लिफाफे में प्रस्तुत करना होगा। प्रथम लिफाफा में फर्म का जीवित पंजीयन, आयकर स्थायी लेखा, संस्था एवं वाणिज्यकर का चुकता प्रमाण पत्र तथा दूसरा लिफाफा में भावपत्र जमा कराना होगा।
10. कय की जाने वाली सामग्री में कमी या अधिक करने का अधिकार जिला शिक्षा अधिकारी धमतरी का होगा।
11. जिले अन्तर्गत विकासखंड कुरूद में संचालित 44 हायर सेकेण्डरी स्कूलों में निविदाकार को सामग्री सही हालत में व फीटिंग कर देना होगा।
12. प्रत्येक E-Learning & Practical Learning System का दर पृथक-पृथक निविदा में अंक करना होगा।
13. निविदाकार द्वारा सामग्रियों हेतु दी गयी दरों में शाला तक सामग्री पहुचाने का परिवहन व्यय शामिल कर देना होगा तथा सामग्री आपूर्ति पश्चात संस्था प्रमुख के हस्ताक्षरमय पावती जिला शिक्षा कार्यालय धमतरी मे प्रस्तुत करने के उपरांत ही देयक राशि की नियमानुसार जी.एस.टी. की कटौती कर भुगतान की कार्यवाही की जावेगी।

14. निविदिकर्ता को जिला शिक्षा अधिकारी के नाम से 1,50,000/– रूपये का डिमाड ड्राफ्ट जो स्टेट बैंक शाखा का हो निविदा के साथ जमा करना होगा अन्यथा निविदा अस्वीकार कर दी जावेगी। निविदा कार्य पूर्ण होने पर यह अमानत राशि वापस की जावेगी।

15. E-Learning & Practical Learning System की गुणवत्ता/मात्रा में कमी पाये जाने पर नियमानुसार आंशिक जुर्माना तथा निविदा को निरस्त करने का अधिकार जिला शिक्षा अधिकारी धमतरी द्वारा गठित क्रय समिति को होगा।

16. सामग्री की आपूर्ति क्रयादेश जारी होने के एक सप्ताह के भीतर करना होगा। निर्धारित अवधि पश्चात आपूर्ति किये जाने पर प्रतिमाह 2 प्रतिशत की दर से पेनाल्टी राशि की कटौती कर नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही की जावेगी।

17. क्रेता विभाग की गुणवत्ता संबंधी शिकायत पर प्रदायकर्ता इकाई द्वारा अमानक स्तर की सामग्री होने की स्थिति में स्वय के खर्च पर बदलकर पुनः मानक स्तर की सामग्री प्रदाय पूर्व निरीक्षण उपरांत विभाग को उपलब्ध कराया जाना होगा। प्रदायकर्ता इकाई का दायित्व है कि विभाग को उचित गुणवत्ता की सामग्री ही प्रदाय की जावे।

18. जी.एस.टी. का भुगतान क्रेता अधिकारी द्वारा कटौती कर किया जावेगा। चालान की छायाप्रति प्रदायकर्ता इकाइ को उपलब्ध करा दी जावेगी।

19. आमन्त्रित की गई निविदा को किसी भी समय बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार जिला शिक्षा अधिकारी धमतरी को होगा।

20. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति मे जिला शिक्षा अधिकारी धमतरी का निर्णय सर्वमान्य होगा।

जिला शिक्षा अधिकारी
जिला–धमतरी

पृ.क्रमांक/ 7 18 /विद्या/फोटो./2017–18/ धमतरी दिनांक 03/ 08/2017

प्रतिलिपिः–

01. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय छ0ग0 रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
02. कलेक्टर महोदय, जिला धमतरी को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
03. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत धमतरी को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
04. जिला कोषालय अधिकारी, जिला धमतरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
05. डी.आई.ओ., एन.आई.सी.धमतरी की ओर सूचनार्थ एव जिले की वेबसाईट में अपलोड करने हेतु सम्प्रेषित।
06. उपसंचालक, जिला जनसम्पर्क कार्यालय जिला धमतरी की ओर सूचनार्थ एवं प्रकाशनार्थ।

जिला शिक्षा अधिकारी
जिला–धमतरी

[Type text]